मुकद...

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
-09-2022 आज पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित आये। वादी का वाद स्वीकारयोग्य पाये जाने की स्थिति में वाद वादी डिक्री किया जाता है एवं विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली निर्णित शुमार हो नम्बरान से कम हो। बाद तकमील जमा जिला लेख भण्डार हो। सुनाया गया।	
उपखण्डाधिकारी मुण्डावर (अलवर) राज०	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर मुण्डावर अलवर राज0

पीठासीन अधिकारी :– पंकज बड़गूजर (R.A.S.)

दावा संख्या	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
17 / 2022	02.02.2022	07.09.2022

//उनवान//

1 सत्यपाल पुत्र मोहनलाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम तरवाला तहसील किशनगढ–बास जिला अलवर राज0।

:– वादीगण

बनाम

1 राजस्थान सरकार जर्ये श्रीमान तहसीलदार साहब मुण्डावर जिला अलवर राज0।

–: प्रतिवादी

दावा– इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज धारा 88,89 आर.टी.एक्ट 1955 व राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 06.09.2009 के संशोधित नोटिफिकेशन दिनांक 30.03.2012 के तहत अवेघ हस्तान्तरण नियमन।

उपस्थिति:– 1 श्री राजेश कुमार शर्मा– वकील वादी

निर्णय

दिनांक– 07.09.2022

आज यह पत्रावली सुनाये जाने आदेश पेश हुई। वकील वादी उपस्थित आये। वादी के वाद का सारतः रहा कि हाल आ0ख0नं0 1739 मिन रकबा 3 बीघा जिसके हाल ख0नं0 1873/1739 रकबा 0.76 है0 जो साबिक ख0नं0 1075 रकबा 30 बीघा 8 बीस्वा से कायम किया गया था वाके ग्राम मेनपुर हाल राजस्व ग्राम श्रीकृष्णनगर तहसील मुण्डावर में स्थित होकर विवादित आराजी कहलायेगी। उक्त विवादित आराजी ख0नं0 1739 मिन में से 3 बीघा वाके ग्राम मेनपुर हाल राजस्व ग्राम श्रीकृष्णनगर श्रीमती मेवा स्त्री जयदयाल कुम्हार निवासी जालपीवास तहसील मुण्डावर को भूमिहीन होने के कारण अलॉट की गई थी। जिसका इन्तकाल नं0 239 गैरखातेदारी का दिनांक 16.11.1978 को अलॉटी मेवा के नाम दर्ज होकर उसी रोज दिनांक 16.11.1978 को कैंप गोपीपुरा में स्वीकार हुआ है तथा उक्त गैरखातेदारी के इन्तकाल का अंकन जमाबन्दी सम्मत 2038 में मेवा देवी के नाम का बतौर गैरखातेदार दर्ज किया हुआ है। वक्त

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०

आवंटन से मेवा देवी काबिज काश्त चली आ रही है। साबिक खं0नं0 1075 रकबा 30 बीघा 0 बिस्वा किस्म बंजड़ कदीम में से मेवा देवी के अलावा दीगर भूमिहीन लोगों को भी तीन–तीन बीघा भूमि आवंटन की गई थी। वक्त आवंटन अलॉटी ग्राम जालपीवास तहसील मुण्डावर में आबाद थी व स्वयं काबिज आराजी रही। तत्पश्चात अलॉटी जटवाडा मौहल्ला वार्ड नं0 03 तौरू जिला मेवात हरियाणा में रहकर अपनी उपरोक्त आराजी को बटाई पर काश्त कराती रही। विवादित आराजी बजंड सिवायचक आराजी रही है जिसकी किस्म हाल में बारानी तृतीय अंकित है और गैरखातेदार ने अपने समस्त हकूक गैर खातेदारी का बेचान मिन वादी को अपनी पारिवारिक आवश्यकता हेतु दिनांक 17.06.2011 को करते हुये संपूर्ण राशि प्राप्त कर कब्जा दिया हुआ है। बाद बेचान गैरखातेदार गैरकाबिज, गैरवास्ता आराजी मुतनाजा है एवं वादी बरोज खरीद से काबिज काश्त चला आ रहा है तथा आज भी वादी का ही मौके पर कब्जा है किंतु राजस्व रिकॉर्ड में गैर खातेदार पट्टेदार का नाम अंकित होने के कारण वादी के कानूनी हितो पर कुठाराघात हो रहा है। चूंकि वादी बोनाफाइड पर्चेजर है एवं मौके पर काबिज है। ऐसी सूरत में वादी उपरोक्त गैरखातेदारी के अंकन को कलमजन कराकर अपने नाम का अंकन बतौर खरीददार अवैध हस्तान्तरण प्रकरण के आधार पर सनद खातेदारी दर्ज कराने का अधिकारी है। गैरखातेदारी का अंकन होने के कारण वादी को कृषि विकास करने में परेशानी हो रही है व गैरखातेदार गैरकाबिज, गैरवास्ता आराजी है ऐसी सूरत में वादी आराजी मुतनाजा पर अपना कब्जा सिद्ध कराकर राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 06.09.2009 के संशोधित नोटिफिकेशन दिनांक 30.03.2012 के पैरा सं0 05 के अनुसार अवैध हस्तान्तरण प्रकरण के आधार पर नियमानुसार राशि जमाकर खातेदारी सनद जारी कराने का अधिकारी है आदि–आदि अंकित करते हुये आराजी मुतनाजा के बाबत हाल राजस्व रिकॉर्ड में अलॉटी गैरखातेदार मेवा देवी के नाम के हो रहे गैरखातेदारी के अंकन जो हकूक वादी के विरुद्ध नल–एंड–वाईड है, काबिल दुरूस्ती है उक्त गैरखातेदारी के इन्द्राज को कलमजन कराया जाकर गैरखातेदार द्वारा वादी के हक में इकरारनामा विधिवत तहरीर करते हुये चुक्ता रकम प्राप्त कर लिये जाने एवं बरोज खरीद से वादी बोनाफाइड पर्चेजर के काबिज व दखिल होने की स्थिति में राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 06.09.2009 एवं संशोधित नोटिफिकेशन दिनांक 30.03.2012 के पैरा सं0 05 के अनुसार अवैध हस्तान्तरण प्रकरण के आधार पर कीमत जमा कराकर सनद खातेदारी प्राप्त करने का अधिकारी है। खातेदारी बाबत घोषणा किये जाने का निवेदन रहा।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की बाद विधिवत तलबी पैरोकार सरकार द्वारा जवाब पैरोकार सरकार पैश हुआ एवं मुताबिक वाद के तहसीलदार मुण्डावर से भी

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०

मौका रिपोर्ट चाही गई साथ ही विवादित आराजी के बाबत मुताबिक वादपत्र गैर खातेदारी आराजी के बरोज खरीद से काबिज होने की स्थिति में अवैध हस्तान्तरण के आधार पर कीमत जमा कराकर खातेदारी चाहे जाने घोषणात्मक वाद प्रस्तुत होने की स्थिति में विवादित आराजियात के बाबत इस न्यायालय द्वारा उज्रदारी नोटिस/आम सूचना भी जारी की गई मुताबिक उक्त उज्रदारी नोटिस के विवादित आराजियात के बाबत आराजी वाके ग्राम की आम चौपाल, ग्राम पंचायत मुख्यालय राजीव गांधी केंद्र ग्राम पंचायत मेनपुर, कार्यालय पंचायत समिति मुण्डावर, तहसीलदार कार्यालय मुण्डावर, एवं कार्यालय हाजा के नोटिस बोर्डों पर भी प्रकाशन/चस्पानगी के बाबत के नोटिस दिनांक 01.04.2022 को साअवधि जारी किये गये जो बाद तामील/चस्पानगी प्राप्त होकर शामिल पत्रावली है। मुताबिक उक्त उज्रदारी नोटिस के किसी भी व्यक्ति द्वारा विवादित आराजियात के बाबत आदिनांक तक किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई। उपरोक्तानुसार तहसीलदार मुण्डावर से मौका रिपोर्ट चाहे जाने पर जरिये पत्रांक 2349 दिनांक 04.03.2022 मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। उक्त प्राप्त मौका रिपोर्ट वाके ग्राम श्रीकृष्णनगर के मुताबिक आराजी खं0नं0 1873/1739 रकबा 0.76 है0 किस्म बंजड की मौका व राजस्व रिकॉर्ड की जांच की गई। राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार हाल जमाबन्दी अनुसार मेवा देवी पत्नि जयदयाल जाति कुम्हार साकिन जालपीवास गैरखातेदार दर्ज रिकॉर्ड होना एवं मौके पर उपस्थित ग्रामवासियों द्वारा पूछताछ अनुसार मौके पर सतपाल पुत्र मोहनलाल जाति गुर्जर साकिन तरवाला तहसील किशनगढ़–बास का कब्जा होने के बाबत की मौका रिपोर्ट पेश है साथ ही पैरोकार सरकार द्वारा प्रस्तुत जवाब सरकार अनुसार विवादित आराजी ग्राम श्रीकृष्णनगर तहसील मुण्डावर में स्थित है एवं पैरा सं0 1, 2, 3, 4 वादी स्वयं सिद्ध करे शेष पैरा विवरणात्मक, कानूनी, क्षेत्राधिकार से संबंधित होने के बाबात का अंकन करते हुये अंतिम पैरा को अस्वीकार करते हुये विवादित आराजी निष्क्रांत (कस्टोडियन) कृषि भूमि होकर गैरखातेदारी की भूमि होना अंकित करते हुये दावां काबिल खारिज योग्य है के बाबत का पेश होकर शामिल पत्रावली है।

वादी ने अपने वाद पत्र की ताईद में दस्तावेजी साक्ष्य स्वरूप नकल हाल जमाबन्दी सम्वत् 2078 प्रदर्श–1, नकल जमाबन्दी सम्वत् 2072–2075 प्रदर्श–2, नकल खसरा गिरदावरी सम्वत् 2075 प्रदर्श–3, नकल नक्सा ट्रेस प्रदर्श–4, नकल जमाबन्दी सेटलमेंट सम्वत् 2029 प्रदर्श–5 ल0 08, नकल मिलान क्षेत्रफल सम्वत् 2029 प्रदर्श–9 व 10, असल इकरारनामा मेवा देवी पत्नि जयदयाल बहक वादी सत्यपाल प्रदर्श–11, नकल जमाबन्दी सम्वत् 2038 प्रदर्श–12 ल0 14, नकल जमाबन्दी सम्वत् 2018–21 प्रदर्श–15, नकल इन्तकाल सं0 239 प्रदर्श–16,

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०

नकल मौका रिपोर्ट तहसीलदार मुण्डावर पत्रांक 2349 दिनांक 04.03.2022 प्रदर्श–17 पेश की है एवं मौखिक साक्ष्य स्वरूप शपथपत्र सत्यपाल पी डब्ल्यू–1, लालसिंह पी डब्ल्यू–2 एवं नरेश कुमार पी डब्ल्यू–3 पेश किये है जो शामिल पत्रावली है।

प्रकरण में निम्नानुसार तनकीयात कायम किये गये–

1– आयावादी विवादित आराजी ख0नं0 1873/1739 रकबा 0.76 हे0 वाके ग्राम श्रीकृष्णनगर तहसील मुण्डावर की अवैध हस्तान्तरण के आधार पर खातेदारी प्राप्त करने का अधिकारी है –जिम्मे वादी

2– आयावादी विवादित आराजी बाबत हाल राजस्व रिकॉर्ड अलॉटी गैरखातेदार के नाम के हो रहे अंकन को कलमजन कराकर अपने नाम की खातेदारी घोषणा कराये जाने का अधिकारी है– –जिम्मे वादी

3– आया वाद वादी काबिल खारिज है –जिम्मे प्रतिवादी

4– दादरसी

वकील वादी की अंतिम बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद पत्र के जिम्मनों को दौहराते हुये अभिकथन किया कि विवादित आराजियात 1739 मिन रकबा 3 बीघा बारानी तृतीय हाल ख0नं0 1873/1739 रकबा 0.76 है0 वाके ग्राम मैनपुर हाल राजस्व ग्राम श्रीकृष्णनगर तहसील मुण्डावर मु0 मेवा स्त्री जयदयाल कुम्हार निवासी जालपीवास को भूमिहीन होने की स्थिति में 3 बीघा भूमि राज्य सरकार द्वारा अन्य आवंटियों के साथ–साथ आवंटन की गई थी एवं जिसके बाबत इन्तकाल सं0 239 दिनांक 16.11.1978 में किस्म गैरखातेदारी का अलॉटी मु0 मेवा के नाम दर्ज होकर उसी दिनांक 16.11.1978 कैंप गोपीपुरा में स्वीकार किया हुआ है तथा उक्त इन्तकाल गैरखातेदारी के बाबत का अंकन जमाबन्दी सम्वत् 2038 में मेवा देवी के नाम बतौर गैरखातेदार दर्ज किया हुआ है एवं वक्त आवंटन से अलॉटी मेवा देवी ग्राम जालपीवास में आबाद रहते हुये बतौर गैरखातेदार स्वयं काबिज काश्त रही है तत्पश्चात् अलॉटी जटवाडा मौहल्ला वार्ड नं0 13 तौरू जिला मेवात हरियाणा में रहकर अपनी उक्त आराजी को बटाई पर काश्त कराती रही और अलॉटी गैरखातेदार ने अपने समस्त हकूक गैरखातेदारी का बेचान अपनी पारिवारिक आवश्यकता हेतु वादी से संपूर्ण राशि प्राप्त कर दिनांक 17.06.2011 को जरिये इकरारनामा बेचान कर दिया एवं बाद बेचान गैरखातेदार मेवा देवी गैरकाबिज, गैरवास्ता आराजी मुतनाजा है एवं वादी बरोज खरीद से काबिज काश्त चला आ रहा है तथा आज भी वादी का ही मौके पर कब्जा है किंतु राजस्व रिकॉर्ड में गैर खातेदार पट्टेदार का नाम अंकित होने के कारण वादी के कानूनी हितो पर कुठाराघात हो रहा है। चूंकि वादी बोनाफाइड पर्चेजर

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०

है एवं मौके पर काबिज है। ऐसी सूरत में वादी उपरोक्त गैरखातेदारी के अंकन को कलमजन कराकर अपने नाम का अंकन बतौर खरीददार अवैध हस्तान्तरण प्रकरण के आधार पर सनद खातेदारी दर्ज कराने का अधिकारी है। गैरखातेदारी का अंकन होने के कारण वादी को कृषि विकास करने में परेशानी हो रही है एवं तहसीलदार मुण्डावर की प्राप्त रिपोर्टानुसार वादी का आराजी मुतनाजा पर पूर्व से काबिज है एवं अवैध हस्तान्तरण के आधार पर नियम अनुसार राशि जमा राजकोष कराकर वास्ते खातेदारी सनद जारी कराने सहमत है तथा आराजी मुतनाजा के बाबत हाल राजस्व रिकॉर्ड में अलॉटी गैरखातेदार मेवा देवी के नाम के हो रहे गैरखातेदारी का अंकन हकूक वादी के विरुद्ध नल–एंड–वाईड है, काबिल दुरूस्ती है उक्त गैरखातेदारी के इन्द्राज को कलमजन कराया जाकर गैरखातेदार द्वारा वादी के हक में इकरारनामा विधिवत तहरीर करते हुये चुक्ता रकम प्राप्त कर लिये जाने एवं बरोज खरीद से वादी बोनाफाइड पर्चेजर के काबिज व दखिल होने की स्थिति में राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 06.09.2009 एवं संशोधित नोटिफिकेशन दिनांक 30.03.2012 के पैरा सं0 05 के अनुसार अवैध हस्तान्तरण प्रकरण के आधार पर कीमत जमा कराकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने का अभिकथन किया।

तनकीवार विवेचन निम्न प्रकार रहा–

1– आयावादी विवादित आराजी ख0नं0 1873/1739 रकबा 0.76 हे0 वाके ग्राम श्रीकृष्णनगर तहसील मुण्डावर की अवैध हस्तान्तरण के आधार पर खातेदारी प्राप्त करने का अधिकारी है इस तनकी को साबित करने का भार वादी का रहा है जिस हेतु वादी ने अपने वादपत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य स्वरूप नकल हाल जमाबन्दी सम्वत् 2078 प्रदर्श–1, नकल जमाबन्दी सम्वत् 2072–2075 प्रदर्श–2, नकल खसरा गिरदावरी सम्वत् 2075 प्रदर्श–3, नकल नक्सा ट्रेस प्रदर्श–4, नकल जमाबन्दी सेटलमेंट सम्वत् 2029 प्रदर्श–5 ल0 08, नकल मिलान क्षेत्रफल सम्वत् 2029 प्रदर्श–9 व 10, असल इकरारनामा मेवा देवी पत्नि जयदयाल बहक वादी सत्यपाल प्रदर्श–11, नकल जमाबन्दी सम्वत् 2038 प्रदर्श–12 ल0 14, नकल जमाबन्दी सम्वत् 2018–21 प्रदर्श–15, नकल इन्तकाल सं0 239 प्रदर्श–16, नकल मौका रिपोर्ट तहसीलदार मुण्डावर पत्रांक 2349 दिनांक 04.03.2022 प्रदर्श–17 पेश की है एवं मौखिक साक्ष्य स्वरूप शपथपत्र सत्यपाल पी डब्ल्यू–1, लालसिंह पी डब्ल्यू–2 एवं नरेश कुमार पी डब्ल्यू–3 पेश किये है उक्त रिकॉर्ड के अवलोकन से एवं वादी द्वारा अपने वादपत्र में राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 06.09.2009 के संशोधित नोटिफिकेशन दिनांक 30.03.2012 के पैरा सं0 05 के अनुसार अवैध हस्तान्तरण प्रकरण के आधार पर नियमानुसार राशि जमाकर खातेदारी सनद प्राप्त करने का भी

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०

निवेदन किया है एवं नजीर पेश की है जो प्रकरण पर स्पष्ट रूप से साबित पाई जाने की स्थिति में राज्य सरकार के उक्त परिपत्र दिनांक 06.09.2009 के संशोधित नोटिफिकेशन दिनांक 30.03.2012 के पैरा सं0 05 के अनुसार विवादित आराजी के बाबत अवैध हस्तान्तरण के आधार पर वादी खातेदारी प्राप्त करने का अधिकारी है के बाबत की उक्त तनकी को यह न्यायालय बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादी स्वीकार योग्य पाता है।

2– आयावादी विवादित आराजी बाबत हाल राजस्व रिकॉर्ड अलॉटी गैरखातेदार के नाम के हो रहे अंकन को कलमजन कराकर अपने नाम की खातेदारी घोषणा कराये जाने का अधिकारी है इस तनकी को भी साबित करने का भार वादी का रहा है ओर जब तनकी संख्या 01 बहक वादी साबित पाये जाने की स्थिति में यह न्यायालय इस तनकी को भी विरुद्ध प्रतिवादी पाते हुये बहक वादी स्पष्ट रूप से साबित पाता है।

3– आया वाद वादी काबिल खारिज है इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी के जिम्मे रहा है ओर जब तनकी संख्या 01 व 02 बहक वादी स्पष्ट रूप से साबित पाये जाने की स्थिति में इस तनकी को यह न्यायालय विरुद्ध प्रतिवादी पाता है।

4– दादरसी– उपरोक्त तनकी वार विवेचन एवं वकील वादी की ध्यानपूर्वक सुनी गई बहस तथा पत्रावली व पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर वादी के हाल आराजी ख0नं0 1873/1739 रकबा 0.76 है0 वाके ग्राम श्रीकृष्णनगर तहसील मुण्डावर के वाद को यह न्यायालय स्वीकारयोग्य पाता है।

आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी के तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो। हाल आराजी ख0नं0 1873/1739 रकबा 0.76 है0 वाके ग्राम श्रीकृष्णनगर तहसील मुण्डावर के बाबत के वाद को स्वीकार योग्य पाये जाने की स्थिति में वादी के वाद को डिक्री किया जाता है एवं हाल राजस्व रिकॉर्ड में मु0 मेवा स्त्री जयदयाल कुम्हार साकिन जालपीवास गैरखातेदार के नाम के हो रहे अंकन को हजफ करने के आदेश दिये जाते है एवं मु0 मेवा के स्थान पर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है चूंकि विवादित आराजी कस्टोडियन आराजी है इस हेतु नियमानुसार देय कस्टोडियन शुल्क वादी तहसीलदार कार्यालय मुण्डावर में जमा करावें। तहसीलदार मुण्डावर वादी से नियमानुसार देय कस्टोडियन शुल्क प्राप्त कर बाद जमा राजकोष कराया जाकर ही उपरोक्तानुसार हाल राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करे।

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०

यह निर्णय आज दिनांक 07.09.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय सुनाया गया।

07.09.2022

(पंकज बडगूजर) उपखण्डाधिकारी
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर (अलवर) राज०
मुण्डावर अलवर,राज0

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर मुण्डावर अलवर राज0

पीठासीन अधिकारी :– पंकज बडगूजर (R.A.S.)

दावां संख्या	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
17/2022	02.02.2022	07.09.2022

//उनवान//

1 सत्यपाल पुत्र मोहनलाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम तरवाला तहसील किशनगढ–बास जिला अलवर राज0।

:– वादीगण

बनाम

1 राजस्थान सरकार जर्ये श्रीमान तहसीलदार साहब मुण्डावर जिला अलवर राज0।

–: प्रतिवादी

दावा– इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज धारा 88,89 आर.टी.एक्ट 1955 व राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 06.09.2009 के संशोधित नोटिफिकेशन दिनांक 30.03.2012 के तहत अवेघ हस्तान्तरण नियमन।

–: पर्चा डिक्री :–

वादी की ओर से श्री राजेश कुमार शर्मा– वकील वादी की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 07.09.2022 को पंकज बडगूजर उपखण्ड अधिकारी, मुण्डावर के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि :–

न्यायालय वादी के वाद को डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। हाल आराजी ख0नं0 1873/1739 रकबा 0.76 है0 वाके ग्राम श्रीकृष्णनगर तहसील मुण्डावर के बाबत के वाद को स्वीकार योग्य पाये जाने की स्थिति में वादी के वाद को डिकी किया जाता है एवं हाल राजस्व रिकॉर्ड में मु0 मेवा स्त्री जयदयाल कुम्हार साकिन जालपीवास गैरखातेदार के नाम के हो रहे अंकन को हजफ करने के आदेश दिये जाते है एवं मु0 मेवा के स्थान पर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है चूंकि विवादित आराजी कस्टोडियन आराजी है इस हेतु नियमानुसार देय कस्टोडियन शुल्क वादी तहसीलदार कार्यालय मुण्डावर में जमा करावें। तहसीलदार मुण्डावर वादी से नियमानुसार देय कस्टोडियन शुल्क प्राप्त कर बाद जमा राजकोष कराया जाकर ही उपरोक्तानुसार हाल राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करे।

खर्चा पक्षकारान् अपना–अपना वहन करेगें।

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

यह पर्चा डिक्री आज तारीख 07.09.2022 को मेरे द्वारा लिखाई जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

07-09-2022

(पंकज बडगूजर)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर अलवर,राज0

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0